2010/00002

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी कोटड़ा जिला उदयपुर (राज.)

प्रकरण संख्याः– 6 /2010 चीनकी वगैरह बनाम मंशा वगैरह

काला पुत्र रामा जाति गरासिया निवासी बेकरिया तहसील कोटड़ा

.....प्रार्थी / प्रतिवादी

बनाम

चीनकी पत्नी माला जाति गरासिया निवासी बेकरिया तहसील कोटडा

.....अप्रार्थी / वादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 एवं 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति

1. प्रार्थी की ओर से – श्री एम.एल. सोनी एड.
2. अप्रार्थी की ओर से– श्री भंवरसिंह झाला एड.

निर्णय

दिनांकः–04.05.2012

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/प्रतिवादी ने ग्राम बेकरिया की आराजी खसरा नम्बर 3577/2653 रकबा 3.15 बीघा, खसरा नम्बर 3578/2653 रकबा 3.11 बीघा एवं खसरा नम्बर 3579/2653 रकबा 7.14 बीघा किता 03 कुल रकबा 15.00 बीघा से सम्बन्धित खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद अप्रार्थी/वादीगण के खिलाफ न्यायालय हाजा में धारा 88 एवं 188 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत दायर किया गया था, जो वाद नम्बर 5/2009 होकर विचाराधीन है। उपर्युक्त विवादित आराजियात से सम्बन्धित घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का नवीन वाद प्रार्थी/प्रतिवादी के परिवार जनो सहित को प्रतिवादीगण बनाते हुए, इस न्यायालय हाजा में पेश किया है, जो पश्चातवर्ती वाद संख्या 08/2010 है। पूर्व वाद तनकी के स्तर पर विचाराधीन है। विवादित आराजी पर प्रार्थी/प्रतिवादी काला, कसना, चम्पा व गला का कब्जा है, जो 40 वर्षो से अधिक समय से काबिज है। पूर्व वाद एवं पश्चातवर्ती वाद में विवादित आराजी समान है एवं पक्षकार समान

है, इस कारण विचाराधीन पश्चातवर्ती वाद 08/2010 चलने योग्य नही है, वह धारा 10 सी.पी.सी. से बाधित है। अतः पश्चातवर्ती वाद को पूर्ववर्ती वाद के निर्णय तक स्थगित फरमाया जावें।

अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि, प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अप्रार्थी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वाद कारण भिन्न-भिन्न दिनांक को उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अप्रार्थी/वादीगण द्वारा जवाब के साथ कोई काउन्टर क्लेम पेश नही किया है। पूर्ववर्ती वाद एवं पश्चातवर्ती वाद में पक्षकार अलग-अलग है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/वादी द्वारा पेश वाद को स्थगित नही किया जा सकता है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण का वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद है, जबकि अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्थायी निषेधाज्ञा का वाद है। वाद में वाहा गया अनुतोष भी भिन्न-भिन्न है, अप्रार्थी/वादीगण खातेदार काश्तकार है, जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी खातेदार नही है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें।

हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया है कि काला बनाम चतरा के नाम से वाद संख्या 05/2009, फरवरी 2009 से विचाराधीन है। विवादित आराजी पूर्ववाद एवं पश्चातवर्ती वाद में समान है एवं पक्षकार भी समान है। अप्रार्थी/वादीगण पूर्ववर्ती वाद में जवाब पेश कर चुके है। पश्चातवर्ती वाद 08/2010 चल नही सकता है। धारा 10 सी.पी.सी. की यही मंशा है। अप्रार्थी/वादीगण ने धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र बाद में पेश किया है। अतः पश्चातवर्ती वाद का पूर्ववर्ती वाद के साथ समेकित नही किया जा सकता है। धारा 10 सी.पी.सी. में वाद के स्थगित करने, समेकन करने के विशेष प्रावधान होने से वादीगण का धारा 151 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र संधारनीय नही है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र एवं बहस में किये गये कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. 1998 (राज.) पेज 418 पेश किया, जिसके पेरा 23 से 25 में माननीय न्यायालय ने वाद के स्थगन के लिये 4 आवश्यक शर्तो का उल्लेख किया है। जहां उक्त शर्ते परिपूर्ण होती है, वहां पश्चातवर्ती वाद को

स्थगित किया जाना चाहिए। पेरा 25 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि धारा 10 के उपबंध आज्ञापक है, पश्चातवर्ती वाद का विचारण प्रतिषेध है। धारा 151 के अधीन सिविल कोर्ट एवं रेवन्यू कोर्ट की अन्तनिहित शक्तियों के धारा 10 के उपबन्ध समाप्त नही करते है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी/वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि वाद नम्बर 5/2009 में वादीगण 4 है, जो वाद नम्बर 08/2010 में प्रतिवादी कम 4 ता 7 है। वाद संख्या 8/2010 में जो पक्षकार है वह सभी वाद संख्या 05/2009 में पक्षकार नही है। इस प्रकार पूर्ववर्ती वाद एवं पश्चातवर्ती वाद में पक्षकार समान नही है। पश्चातवर्ती वाद में 13 प्रतिवादीगण है। पूर्ववर्ती वाद एवं पश्चातवर्ती वाद में पक्षकार समान नही है। पूर्ववर्ती वाद में वाद कारण दिनांक 15.12.2008 को उत्पन्न हुआ है, जबकि वाद संख्या 08/2010 में वाद कारण 12.02.2010 को उत्पन्न हुआ है। वाद अनुतोष भी समान नही है। धारा 10 सी.पी.सी. के अनुसार जब पक्षकार समान हो, वाद का कारण समान हो, विवाद्य समान हो तो उक्त धारा के अनुसरण में पश्चातवर्ती वाद स्थगित किया जा सकता है, परन्तु इन वादों में ऐसा नही है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी/वादी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त में डी.एन.जे. 1986 एस.सी. पेज 460 पेश किया, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि " The cause of action are antirely different. There is no common issue substantially in issue in both suits. The High Court, therefore, committed of law in staying the later suit." प्रस्तुत दोनो वादो में वाद कारण भिन्न-भिन्न है। विद्वान अभिभाषक ने दूसरा न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1995 पेज 582 पेरा-7 भूरा बनाम नानूराम का पेश किया, जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि " प्रस्तुत दोवें के एवं वर्तमान दावें के कॉज ऑफ एक्शन एक से नही है, इस कारण दावा स्टे नही किया जा सकता है। तीसरा न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. 1997 (राज.) पेज 202 का प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि " विवाद्य विषय से अभिप्राय विवाद की सम्पूर्ण विषय वस्तु से है, न कि एक विवाधक से। अतः पश्चातवर्ती वाद के स्थगन के लिए कोई आधार विद्यमान नही है।

अतः वाद कारण एवं विवाद्य समान नही होने से पश्चातवर्ती वाद स्थगित नही किया जा सकता।

हमने विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की उपर्युक्त बहस सुनी एवं वाद संख्या 05/2009 एवं 08/2009 में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। धारा 10 का उद्देश्य यह है कि एक ही वाद विषय को लेकर दो वाद प्रत्यक्ष और सारतः समान हो, कि एक साथ सुनवाई होने पर, उन दोनो के निर्णय में अन्तर होना उस दशा में संभव है, जबकि दोनो वाद भिन्न–भिन्न समान अधिकार वाले न्यायालयों में प्रस्तुत हो। ऐसी स्थिति में उन दोनो का निर्णय एक दुसरे के विपरित हो सकता है। अतः धारा 10 का उद्देश्य दो या अधिक समानान्तर कार्यवाही चलाना व समानान्तर निर्णयों के सम्बन्ध को रोकना है। धारा 10 के प्रावधानों को लागु करने के लिये निम्न 4 आवश्यक तत्व है।

1. प्रथम वाद जो न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उसी के समान दूसरा वाद जो उसी न्यायालय अथवा भारत के किसी भी न्यायालय में अथवा भारत की सीमा के बाहर किसी ऐसे न्यायालय में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की गई हो अथवा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जावें, जिसमें पूर्व का वाद लम्बित हो।
2. वाद विषय जो पूर्व वाद में था वह सारतः अथवा प्रत्यक्षतः वही हो जो पश्चातवर्ती वाद में भी हों।
3. दोनो वाद में पक्षकार वे ही हो अथवा उनके प्रतिनिधि और वे उसी आधार पर वाद का संचालन कर रहे हो।
4. वह न्यायालय जिसमें प्रथम वाद संस्थित किया गया है, वह पश्चातवर्ती लाभ वाली न्यायालय पूर्ववर्ती वाद का निराकरण करने में सक्षम है।

इस प्रकार यह धारा उसी समय लागु होगी, जबकि उपर्युक्त बताए गये तत्व समान रूप से दोनो वाद जो लम्बित है और उन्ही पक्षकारों के मध्य अथवा उनके प्रतिनिधियों के मध्य सक्षम न्यायालयों में लम्बित हो और उनके बाद विषय समान हो। इस धारा के अधीन दिये गये प्रार्थना पत्र में पूर्ववर्ती व पश्चातवर्ती वाद के सम्बन्ध में उपलब्ध नही हों।

उपर्युक्तानुसार दोनो वादों का परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि वाद संख्या 05/2009 में जो वादीगण है वह वाद संख्या 08/2010 में प्रतिवादी कम 4 ता 7 है। इसके विपरित वाद संख्या 08/2010 में 1 ता 3, 8 ता 13 अतिरिक्त पक्षकार है। वाद संख्या 5/2009 में जो प्रतिवादी कम 2 व 3 है, वह वाद संख्या 08/2010 में वादीगण है। वाद संख्या 5/2009 में प्रतिवादी कम 1 चतरा पिता रामा, वाद संख्या 8/2010 में पक्षकार नही है। इस प्रकार वाद संख्या 08/2010 में अतिरिक्त पक्षकार संयोजित किये गये है, जिसके बारे में एआईआर 1957 कलकत्ता 72 सोहराब बनाम मस्ता एण्ड कम्पनी, एआईआर 1975 गौहाटी 40 महंगू बनाम प्रभाग, एआईआर 1948 नाग. 297 लक्ष्मी बैंक बनाम हरिकिशन, एआईआर 1964 कलकत्ता 373 रूगण्टा एण्ड कम्पनी बनाम नवल किशोर में माननीय उच्च न्यायालयों ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि " जहां तक समान उभय पक्षकारान का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में यह विचारणीय है कि अगर किसी पश्चातवर्ती वाद में पूर्ववर्ती वाद के अतिरिक्त अगर कुछ अधिक पक्षकार सम्मिलित है, किन्तु अन्य तत्व बराबर पाये जाते है, तो एक पक्षकार जो अतिरिक्त है, उसका कोई प्रभाव नही होते हुए यह धारा लागू होगी।

वाद संख्या 05/2009 के वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद लेकर आये है, जो धारा 88 एवं 188 आर.टी.एक्ट. के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। वाद संख्या 08/2010 में वादीगण विवादित आराजी के खातेदार है। विवादित आराजी दोनो ही वाद पत्र में समान है। पश्चातवर्ती वाद स्थायी निषेधाज्ञा का वाद है, जो धारा 188, 92 ए. आर.टी.एक्ट. में पेश किया है। विवादित आराजी पर एक कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहता है, जो वर्तमान में खातेदार नही है। दूसरा खातेदार होकर स्थायी निषेधाज्ञा चाहता है। इस प्रकार अनुतोष भिन्न–भिन्न है। दोनो ही प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित होने है। पश्चातवर्ती वाद में वादी खातेदार है, जो वाद लाने हेतु सक्षम है परन्तु चाहा गया अनुतोष सीमित है, जबकि पूर्ववर्ती वाद में वादीगण खातेदार नही है, परन्तु चाहा गया अनुतोष विस्तृत है।

अतः प्रस्तुत दोनो ही वादो में विवादित आराजी समान है, परन्तु विवाद्य एवं अनुतोष भिन्न–भिन्न है। दोनो ही वाद एक ही सक्षम न्यायालय मे विचाराधीन है, जो अनुतोष देने हेतु सक्षम है। अतः उक्त प्रकरण में उचित यह है

कि धारा 151 सी.पी.सी. के तहत एक साथ विचारण किया जावें एवं किसी एक में साक्ष्य लेखबद्व की जावें एवं गुणावगुण के आधार पर विधि मान्य निर्णय पारित किया जावें। जहां एक ही सम्पति एवं समान पक्षो के मध्य दोनो वाद है, श्रेष्ठ यही है कि दोनो वादो को गुणदोष पर निराकरण करने हेतु समेकित किया जावें।

प्रस्तुत दोनों वादो में स्थाई निषेधाज्ञा का बिन्दु समान है, परन्तु पूर्ववर्ती वाद में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का बिन्दु अतिरिक्त होकर महत्वपूर्ण है, जो पश्चातवर्ती वाद से भिन्न है। वाद विषय भिन्न होने पर पश्चातवर्ती वाद स्थगित नही किया जा सकता। जहां दो वादो की विषय वस्तु समान न हो तो धारा 10 केवल इस आधार पर लागू नही की जा सकती कि दोनो वादों के मुख्य विवाधक समान है। अतः पश्चातवर्ती वाद का स्थगन करने के बजाय वाद का समेकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय करना ज्यादा उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पश्चातवर्ती वाद संख्या 08/2010 के स्थगन बाबत् खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2012 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.5.2012

(मोहनलाल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

कोटड़ा